न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp - Pucci

वादपत्र संख्या 25/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमनदीपसिंह एवं
2. आकाशदीपसिंह आत्मजन श्री कश्मीरसिंह, जटसिख, चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगगानगर **...वादीगण**

बनाम

1. कश्मीरसिंह आत्मज श्री जयसिंह, जटसिख, चक 1 बी.बी.
2. श्रीमती सुखवीरकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री जसमेलसिंह, जटसिख, चक चोरमार खेड़ा तहसील डबवाल जिला सिरसा(हरियाणा)
3. श्रीमती परविन्द्रकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री जसकरणसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती परमजीतकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री गुरमीतसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
5. श्रीमती जसवीरकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री नत्थासिंह, जटसिख, चक 20 एम.एल.(बी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1से5)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–6)

दिनांक 16 मई, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/10 मुरब्बा नम्बर 12 एवं मुरब्बा नम्बर 26 की 12.650 हैक्टर में से 4.213 हैक्टर, खाता संख्या 45/52 मुरब्बा नम्बर 23 एवं 30 की 3.098 हैक्टर में से 1.201 हैक्टर, खाता संख्या 60/55 मुरब्बा नम्बर 32 की 1.727 हैक्टर में से 0.295 हैक्टर, खाता सख्या 74/09 मुरब्बा नम्बर 11 एवं मुरब्बा नम्बर 13 की 9.488 हैक्टर में 3.163 हैक्टर, खाता संख्या 79/68 मुरब्बा नम्बर 4, 24 एव 80 की 5.046 हैक्टर में से 1.180 हैक्टर एवं चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 30/38 मुरब्बा नम्बर 42 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण के दादा श्री जयसिंह आत्मज श्री ईसरसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आ रही है जिनकी मृत्यु दिनांक 17 जून, 2014 के उपरान्त उनके जायज

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम पर विरासतन नामान्तरकरण संख्या 579 एवं 472 दर्ज किया गया है. इस प्रकार वर्णित समस्त कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के साथ हक बनता है. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का वादीगण से अत्यन्त स्नेह एवं लगाव होने के कारण उनके द्वारा अपने हिस्सा वादीगण को दिये जाने के कथन किये गये हैं. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा मौखिक रूप से अपने पैतृक हिस्सा का परित्याग किया हुआ है. वादीगण के दादा श्री जयसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही उल्लेखित कृषि का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बहिस्सा बराबर बराबर किया जाकर कब्जा सम्भलवा दिया गया था तब के वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि के 1/3-1/3 हिस्सा पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किये गये कि जब वादीगण चाहेंगे सहमति से विभाजन करवा देंगे इसी विश्वास पर वादीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि पर मेहनत कर सुधार कार्य किये गये हैं. कुछ दिवस पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादीगण के हिस्सा की भूमि वादीगण के नाम पर अमल दरामद करने हेतु कहे जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा टालमटोल करते हुऐ दिनांक 10 फरवरी, 2018 को वादीगण को उनके हिस्सा की कृषि भूमि देने से इन्कार कर दिया गया. ऐसी स्थिति में, वादीगण पैतृक सम्पत्ति में से अपने अधिकारों की घोषिणा करवाना चाहते हैं जिसके लिये वाद पस्तुत करना आवश्यक हो गया है. इस प्रकार वादीगण द्वारा चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/10 मुरब्बा नम्बर 12 एवं मुरब्बा नम्बर 26 की 12.650 हैक्टर में से 4.213 हैक्टर, खाता संख्या 45/52 मुरब्बा नम्बर 23 एवं 30 की 3. 098 हैक्टर में से 1.201 हैक्टर, खाता संख्या 60/55 मुरब्बा नम्बर 32 की 1.727 हैक्टर में से 0.295 हैक्टर, खामा सख्यज्ञ 74/09 मुरब्बा नम्बर 11 एवं मुरब्बा नम्बर 13 की 9.488 हैक्टर में 3.163 हैक्टर, खाता संख्या 79/68 मुरब्बा नम्बर 4, 24 एव 80 क 5.046 हैक्टर में से 1.180 हैक्टर एवं चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 30/38 मुरब्बा नम्बर 42 की 1.762 हैक्टर कृषि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 में बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाकर पृथक लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 1 बी.बी. के खाता संख्या 11/10 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 1 बी.बी. के खाता संख्या 45/52 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 1 बी.बी. के खाता संख्या 60/55 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 1 बी.बी. के खाता संख्या 79/68 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 1 बी.बी. के खाता संख्या 74/09 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 30/38 की जमाबन्दी सम्बत् 2066-2069, चक 1 बी.बी. के नामान्तरकरण संख्या 579, चक 11 एम.एल. के नामान्तरकरण संख्या 472 की प्रमाणित चित्रित प्रतियां सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

वादीगण की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 6 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण के पिता का नाम श्री कश्मीरसिंह एवं दादा का नाम श्री जयसिंह है किन्तु वादपत्र के शीर्षक में एवं वादीगण की वल्दियत में पिता का नाम कश्मीरसिंह के स्थान पर दादा का नाम श्री

सहायक कलेक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

जयसिंह अंकित हो गया है जो केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि है जिसमें संशोधन अपेक्षित है. उक्त भूल सद्भावी है जिसके संशोधन से वादपत्र की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि वादपत्र के सही निस्तारण के लिये उक्त संशोधन आवश्यक है. इस प्रकार संशोधित वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु निवेदन किया गया. युक्तियुक्त विचारणोपरान्त, आवेदनपत्र स्वीकार किया गया. यथा संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित.

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 6 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादीगण की शिनाख्त अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6662 2833 9909, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7267 9563 9169, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9840 9784 9766, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3832 5011 2054, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या KPQ 1007848, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6164 8745 2092 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या GJC/1641570 की स्वः प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 15 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने पर अनापत्ति प्रस्तुत की गयी.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित शपथपत्र के अनुसार वे प्रश्नगत कृषि भूमि में से प्राकृतिक स्नेहवश कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपने अपने हिस्सा का परित्याग करती हैं, के तथ्य अंकित किये गये हैं.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

ऐसी स्थिति में, प्रस्तुत अभिलेख चक 1 बी.बी. के नामान्तरकरण संख्या 579 एवं चक 11 एम.एल. के नामान्तरकरण संख्या 472 से सिद्व है कि प्रश्नगत कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसे वादीगण को विभाजित करवाने का अधिकार उपलब्ध है. इस प्रकार, चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/10 मुरब्बा नम्बर 12 एवं मुरब्बा नम्बर 26 की 12.650 हैक्टर में से 4.213 हैक्टर, खाता संख्या 45/52 मुरब्बा नम्बर 23 एवं 30 की 3.098 हैक्टर में से 1.201 हैक्टर, खाता संख्या 60/55 मुरब्बा नम्बर 32 की 1.727 हैक्टर में से 0.295 हैक्टर, खाता सख्या 74/09 मुरब्बा नम्बर 11 एवं मुरब्बा नम्बर 13 की 9.488 हैक्टर में 3.163 हैक्टर, खाता संख्या 79/68 मुरब्बा नम्बर 4, 24 एव 80 की 5.046 हैक्टर में से 1.180 हैक्टर एवं चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 30/38 मुरब्बा नम्बर 42 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि के लिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर बराबर की खातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 6 अप्रेल, 2018 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/10 मुरब्बा नम्बर 12 एवं मुरब्बा नम्बर 26 की 12.650 हैक्टर में से 4.213 हैक्टर, खाता संख्या 45/52 मुरब्बा नम्बर 23 एवं 30 की 3.098 हैक्टर में से 1.201 हैक्टर, खाता संख्या 60/55 मुरब्बा नम्बर 32 की 1.727 हैक्टर में से 0.295 हैक्टर, खामा सख्या 74/09 मुरब्बा नम्बर 11 एवं मुरब्बा नम्बर 13 की 9.488 हैक्टर में 3.163 हैक्टर, खाता संख्या 79/68 मुरब्बा नम्बर 4, 24 एव 80 की 5.046 हैक्टर में से 1.180 हैक्टर एवं चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 30/38 मुरब्बा नम्बर 42 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर बराबर को खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय कैम्प – ग्राम पक्की में आज दिनांक 16 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.
Camp - Pucci

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, R.A.S.

1. अमनदीपसिंह एवं
2. आकाशदीपसिंह आत्मजन श्री कश्मीरसिंह, जटसिख, चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगगानगर ...वादीगण

बनाम

1. कश्मीरसिंह आत्मज श्री जयसिंह, जटसिख, चक 1 बी.बी.
2. श्रीमती सुखवीरकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री जसमेलसिंह, जटसिख, चक चोरमार खेड़ा तहसील डबवाल जिला सिरसा(हरियाणा)
3. श्रीमती परविन्द्रकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री जसकरणसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती परमजीतकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री गुरमीतसिंह, जटसिख, ढींगांवाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
5. श्रीमती जसवीरकौर आत्मजा श्री जयसिंह धर्मपत्नी श्री नत्थासिंह, जटसिख, चक 20 एम.एल.(बी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 25/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–6) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता हैं कि –

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को चक 1 बी.बी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 11/10 मुरब्बा नम्बर 12 एवं मुरब्बा नम्बर 26 की 12.650 हैक्टर में से 4.213 हैक्टर, खाता संख्या 45/52 मुरब्बा नम्बर 23 एवं 30 की 3.098 हैक्टर में से 1.201 हैक्टर, खाता संख्या 60/55 मुरब्बा नम्बर 32 की 1.727 हैक्टर में से 0.295 हैक्टर, खामा सख्या 74/09 मुरब्बा नम्बर 11 एवं मुरब्बा नम्बर 13 की 9.488 हैक्टर में 3.163 हैक्टर, खाता संख्या 79/68 मुरब्बा नम्बर 4, 24 एव 80 की 5.046 हैक्टर में से 1.180 हैक्टर एवं चक 11 एम.एल. के खाता संख्या 30/38 मुरब्बा नम्बर 42 की 1.762 हैक्टर कृषि भूमि का बहिस्सा बराबर बराबर को खातेदार घोषित किया जाता है.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 16 मई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक ... (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर